

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-130 / 16
संस्थापित दिनांक- 06.05.2016
Filling no 235103000752016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- शिशुपाल पुत्र मलखान सिंह उम्र 36 साल 2- मत्सू उर्फ मस्तराम उम्र 24 साल 3- परमाल पुत्र मांगीलाल अहिरवार उम्र 19 साल निवासीगण- ग्राम श्यामगढ थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.07.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 452 / 34, 294, 323 / 34 (तीन बार), 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 20.03.2016 को समय शाम 06:00 बजे फरियादी का घर ग्राम श्यामगढ थाना चंदेरी में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मिथलेश के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी मिथलेश को मां बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मिथलेश एवं आहत कलेक्टर व राजाबाई को लात घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी मिथलेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 18.07.2017 को फरियादिया मिथलेश एवं आहतगण कलेक्टर, राजाबाई एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण **शिशुपाल, परमाल, मत्सू उर्फ मस्तराम** को भा.द.वि की धारा 294, 323 / 34 (तीन बार), 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया मिथलेशबाई ने अपनी सास राजाबाई, मीराबाई, कलेक्टर के साथ थाना चंदेरी में घायल अवस्था में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.03.2016 को शाम करीब 6 बजे की बात है वह और उसकी सास राजाबाई व मीराबाई घर पर थे कि शिशुपाल यादव, मत्सू, परमाल चौधरी तीनों घर के अंदर घुस आए और उसे व राजाबाई, मीराबाई को मां बहन की अश्लील गंदी गंदी गालिया देकर बोले कलेक्टर सिंह कहा है उसका दिमाग ज्यादा खराब हो गए है, फरियादिया, आहतगण ने गाली देने से मा किया तो शिशुपाल व मत्सू ने उसे व उसकी सास राजाबाई की लात घुसो से मारपीट की जिससे उसकी पीठ, दाहिने हाथ के दडा, पेट में तरेट के नीचे, बाए पैर के घुटना में मुंदी चोट आई और सास राजाबाई के दाहिने हाथ की टहनी व बाए पैर के नरे में मुंदी चोट आई। घटना सुनीता, सावित्री व प्रियंका ने देखी है फिर तीनों कलेक्टर को मारने के लिए गए और कलेक्टर सिंह को खेत पर तीनों ने गाली गलौच की और शिशुपाल ने लाठी मारी जो बाए तरफ माथे पर लगी चोट होकर खून निकला व मत्सू ने छुरी मारी जो बाए हाथ की कलाई व पंजे में लगी चोट होकर खून निकला, फिर तीनों बोले कि थाने पर रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देंगे, घटना अमित यादव, गब्बर यादव ने कलेक्टर को बचाया व घटना देखी है। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04- अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 20.03.2016 को समय शाम 06:00 बजे फरियादी का घर ग्राम श्यामगढ थाना चंदेरी में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मिथलेश के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
----	--

:: सकारण निष्कर्ष ::

06- अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी मिथलेश अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन

कथनो में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब एक साल पहले की होकर शाम 6 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसकी सास राजाबाई घर के बाहर खड़े हुए थे तभी पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण द्वारा गालियां दी गई थी जिसके संबंध में उसने थाना चंदेरी में प्र. पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का मानचित्र प्र.पी.1 तैयार किया था तथा पुलिस ने राजाबाई व कलेक्टर की चोटो का इलाज कराया था, इसके अलावा आरोपीगण ने उसके तथा राजाबाई व कलेक्टर के साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त बात का समर्थन राजाबाई अ0सा02 तथा कलेक्टर सिंह अ0सा03 ने भी किया है।

07— अभियोजन साक्षी मिथलेश अ0सा01, राजाबाई अ0सा02, कलेक्टर सिंह अ0सा03 को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षविरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा उनकी मारपीट न करना व्यक्त किया तथा उक्त साक्षीगण का कहना है कि धक्का मुक्की में गिर जाने से उन्हें चोटे आ गई थी। प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण से उनकी कहा सुनी घर के बाहर हुई थी। आरोपीगण घर के अन्दर नहीं घुसे थे।

08— इस प्रकार मिथलेश अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत है एवं चक्षुदर्शी साक्षी राजाबाई एवं कलेक्टर ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन घटना लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि 20.03.2016 को समय शाम 06:00 बजे फरियादी का घर ग्राम श्यामगढ थाना चंदेरी में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मिथलेश के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतः आरोपी **शिशुपाल, परमाल, मस्तू उर्फ मस्तराम** को धारा 452/34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—130 / 16
Filling no 235103000752016

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0